FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत ...सहायक कलक्टर (SDO) बायतु... मुकाम ...

...नरेन्द्र कुमार... बनाम ...कुलदाराम वगै....

किस्म मुकदमा ...रा० प्रावेदन... नं. ...188/19... सन ...2019...

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/8/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ...रिछ्छाराम मियाणा... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ...111, 128... राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ...26/6/19... को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
26/06/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल कुछ तामील अप्राप्त। विप्रार्थी संख्या-5 की ओर से वकील श्री जगदीश गोदारा द्वारा अण्डर टेकिंग की गई। नियम पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 22/07/19 को पेश हो। पुनश्च: विप्रार्थी संख्या-1 स्वयं उपस्थित है जिसके हस्ताक्षर करवाये गये। अतः पत्रावली नियत दिनांक 22/07/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	कुलदाराम Undertaking by me for वि प्र. 5 (हस्ताक्षर) 26/6/19

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 13:54:42 IST
Reason: SelfAttested

22/07/19

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी रसीद पुनः प्राप्त नहीं हुई है। विपक्षी संख्या-1 लगा. विपक्षी संख्या-5 के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश नहीं किया गया फाईल पेश करना चाहते है। अभाव पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यो में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 04/09/19 को पेश हो।

04/09/19

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इलतवा होकर दिनांक 06/11/19 को पेश हो।

06/11/19

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये। जिनको तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है तथा विपक्षी संख्या-5 के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश नहीं किया गया जिनको पर्याप्त अवसर दिये गये। बावजूद इसके विपक्षी संख्या-5 के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश नहीं किया गया। शेष विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई, विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेत शामिल आये हुए है प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के बीच जो पुरानी मेड व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में जानियों की वजह से बिगड़ गये है जिस कारण प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य तनाजा बना रहता है। बरसात होने पर विपक्षीगण प्रार्थी के खातेदारी खेत में प्रवेश कर लेते है जिस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 13:54:42 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेकमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेकमबन्दी आदेश किया जावे। अत: प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेकमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेकमबन्दी मौके पर कमिशन शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो. पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 13:54:42 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म की तामील में जारी हुए

राजस्थान सरकार

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2019 / 934 दिनांकः– 6/11/19

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

नरेन्द्र कुमार पुत्र धनाराम जाति जाट
निवासी रामदेरिया (खड़ीन)

तुलछाराम पुत्र आसूराम वगैरा
निवासी नया गांव

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 188/2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा नया गांव पटवार हल्का नगोणी धतरवालों की ढाणी तहसिल बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1056/815 रकबा 06.00 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वंय या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/– जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

क्रमांक / वाद / 2019 / 935 – 39 दिनांकः– 6/11/19

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी नगोणी धतरवालों की ढाणी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र धनाराम
4. विप्रार्थीगण तुलछाराम पुत्र आसूराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु/गिड़ा

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 13:54:42 IST
Reason: SelfAttested